न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 41/17

अफसाना बेगम पुत्री श्री नुशान आलम निवासी वार्ड सं0 49, शुगर मिल कालोनी, श्री गंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1.रीना पत्नी आशू पुत्री मसूदादास उर्फ मधूसूदन जाति माली निवासी मकान नं0 79, वार्ड सं0 49, करणी मार्ग, श्री गंगानगर।

2.राज्य जरिये उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।

उपस्थित :

1. श्री प्रेमदीप सैन, अधिवक्ता अपीलार्थिया
2. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश दिनांक : 02–06–2017

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जनवरी, 2017 में ऑगनबाड़ी केन्द्र 49 के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु ऑगन बाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थिया द्वारा आवेदन किया गया था। इसी पद के लिए रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा भी आवेदन किया गया था। रेस्पोडेन्ट सं0 1 चूनावढ के पास गॉव की निवासी है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा स्वंय को तलाक शुदा दिखाकर आवेदन किया गया था। अपीलार्थिया द्वारा कलक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जॉच के आदेश के बावजूद भी जॉच नहीं की गई । विभाग ने अन्यत्र रहने वाली महिला का कार्यकर्ता के पद पर चयन कर लिया । महिला एवं बाल विकास विभाग ने परिपत्र के अनुसार चयन सही नहीं किया गया है। अतः विभाग के परिपत्र अनुसार नियमानुसार चयन करवाया जाकर राहत प्रदान करें।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 को तलब किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। रिपोर्ट एवं रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलार्थिया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि रेस्पोडेन्ट सं01 वार्ड सं0 49, श्री गंगानगर की निवासी न होकर चूनावढ के पास गॉव 30 जी जी की निवासी है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 का राशन कार्ड निरस्त हो चुका है। भामाशाह कार्ड में पति एवं पुत्री का नाम अंकित है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने पुनः शादी कर ली है। मतदाता सूची वि0स0क्षेत्र सादुलशहर 2017, भाग सं0 81 में रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पति का नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य अंकित किये हैं। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 स्नातक तक शिक्षित है। श्री गंगानगर के शहरी क्षेत्र वार्ड सं0 49 की निवासी है। अपीलार्थिया द्वारा जो दस्तावेज फार्म नम्बर 3 के साथ दौराने बहस पेश किये गये हैं, वे सब पुराने हैं। आवेदन करने के समय रेस्पोडेन्ट सं01 ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करती थी। परिपत्र के अनुसार गठित कमेटी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 का ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सही चयन किया गया है। बहस में यह भी बताया है कि अपीलार्थियॉ श्री गंगानगर की निवासी है, लेकिन दसवीं उर्त्तीण होने की अंकतालिका बिहार राज्य की पेश की गई है जबकि अपीलार्थिया बिहार कभी गई ही नहीं है। अंक तालिका फर्जी होने का सन्देह है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 4853 दिनांक 12–5–17 में अंकित किया है कि " **दिनांक 24–4–17 को विभागीय निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में वार्ड सं0 49 के कार्यकर्ता पद हेतु चयन किया गया था। उक्त वार्ड में कुल दो आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से वरियता के आधार पर श्रीमती रीना पत्नी श्री आशु ग्रेडिंग में प्रथम होने के कारण वार्ड सं0 49 का सर्वसम्मति से चयन किया गया** "।

चयन के लिए पात्रता एवं मानदण्डों के लिए विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 1(3)10/मो./आई.सी.डी.एस./2011/150819 जयपुर दिनांक 9–11–16 के बिन्दु सं0 2 (ए) के अनुसार चयन हेतु वांछित पात्रताएं इस प्रकार हैः–

(1) **स्थानीय निवासी होना – शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस ऑगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिये।**

उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा आवेदन पत्र में अपने निवास का पता वार्ड सं0 49, मकान नं0 79, करणी मार्ग, श्री गंगानगर अंकित किया है। इसकी पुष्टि में आधार कार्ड सं0 22193744 7907 दिनांक31–12–2012 की प्रति पेश की है, जिसमें निवास का पता मकान नं0 79, वार्ड सं0 49, करणी मार्ग, 1 ई छोटी, श्री गंगानगर अंकित है। तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा जारी अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र दिनांक 15–12–12 में भी निवास का पता करणी मार्ग, वार्ड सं0 49, श्री गंगानगर अंकित है। राशन कार्ड थ्छन्झ।क 2014–7–25 में भी वार्ड सं0 49, करणी मार्ग, श्री गंगानगर अंकित है। इस प्रकार, रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा आवेदन पत्र. में वर्णित निवास स्थान के पते के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 वार्ड सं0 49, मकान नं0 79, करणी मार्ग, श्री गंगानगर में आवेदन के समय निवास करती थी। इस प्रकार वह स्थानीय निवासी थी।

(2) वैवाहिक स्थिति – महिला का विवाहित होना आवश्यक है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन पत्र में अपने पति का नाम आशु अंकित किया है। अपीलार्थिया ने जो दस्तावेज पेश किये हैं, उनमें विवाह विच्छेद के संबंध में सक्षम न्यायालय की डिक्री की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है, जिससे यह प्रगट होता हो कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 का विवाह सक्षम न्यायालय द्वारा विच्छेद किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदन के समय रेस्पोडेन्ट सं0 1 विवाहित थी।

<u>(3) शैक्षणिक योग्यता</u> – ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु न्यूनतम दसवीं उर्तीण होना आवश्यक है ।

अपीलार्थिया ने अपने आवेदन पत्र में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड, पटना से वर्ष 1998 में दसवीं की परीक्षा उतीर्ण करने की अंकतालिका की प्रति प्रस्तुत की है जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपने आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सैकेण्डरी परीक्षा उतीर्ण वर्ष 2003, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा, 2006 की अंकतालिका एवं स्नातक परीक्षा वर्ष 2014 महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा जारी अंकतालिका की प्रतियॉ पेश की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थिया से रेस्पोडेन्ट सं0 1 उच्च शिक्षित है।

<u>(4) आयु</u> – आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी लेकिन विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के प्रकरण में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक की होगी।

अपीलार्थिया ने आवेदन पत्र में अपनी आयु 32वर्ष 10 माह अंकित की है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा आवेदन पत्र में 31 वर्ष आयु अंकित की है। आयु के संबंध में अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 की योग्यता पूर्ण है।

<u>(5) श्रेणीवार प्राथमिकता</u> – परिशिष्ट 'ब' पर दिये गये मूल्याकंन प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार देय होगी।

चयन कमेटी द्वारा चयन हेतु मूल्याकंन प्रपत्र परिशिष्ट –'ब' के अनुसार अपीलार्थिया को दो अंक दिये गये हैं जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 1 को परिशिष्ट 'ब' के अनुसार 5 अंक दिये गये हैं क्योंकि अपीलार्थिया बिहार शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा उर्तीण है जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 1 स्नातक तक शिक्षित है। इस प्रकार, चयन कमेटी द्वारा मूल्याकंन के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 का चयन करने में कोई विधिक अनियमितता नहीं की गई है।

अपीलार्थिया के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस फार्म नं0 3 के साथ दस्तावेज पेश किये गये हैं, के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 आवेदन के समय वार्ड सं0 49 की निवासी न हो क्योंकि अपीलार्थियॉ द्वारा निर्वाचक नामावली, 2017 विधान सभा क्षेत्र, सादुलशहर के गॉव 30 जी जी चूनावढ भाग सं0 81 की प्रति पेश की गई है, उसमें रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पति के नाम के साथ एसी घर में इसकी पत्नी के रूप में उसकी प्रविष्टि नहीं है। लिहाजा उसे चूनावढ की मामूली तौर पर निवासी होना नहीं पाया जाता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विभागीय परिपत्र कमांक प.1(3)10/मो./आई.सी.डी.एस./2011/150819 जयपुर दिनांक 9–11–16 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर की अध्यक्षता में चयन कमेटी का गठन किया जाकर परिपत्र में विहित प्रक्रियानुसार रेस्पोडेन्ट सं0 1 का चयन किया गया है। इसके चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती है।

इस प्रकार, उपर्युक्त विभागीय परिपत्र में विहित प्रक्रिया अनुसार चयन हेतु गठित कमेटी में वार्ड सं0 49, श्री गंगानगर के लिए ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में श्रीमती रीना के किये गये चयन में किसी प्रकार की विभागीय मानदण्डों एवं पात्रताओं में त्रुटि नहीं पाए जाने से अपीलाधीन चयन प्रकिया पश्चात् किए गए निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 2–6–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

2/6/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)